

<b>HJS Bench-1 Link-1</b>	<b>HJS Bench-2 Link-2</b>	<b>HJS Bench-3 Link-3</b>	<b>LJS Bench-4 Link-4</b>	<b>LJS Bench-5 Link-5</b>	<b>LJS Bench-6 Link-6</b>
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**To be filled by competent authority**

**विशेष ई-लोक अदालत**

लोक अदालत खण्डपीठ क्रमांक .....

न्यायालय सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण.....

	आवेदकगण
<b>विरुद्ध</b>	
	अनावेदकगण

<b>मोटर दुर्घटना दावा क्रमांक</b>	
-----------------------------------	--

**-: राजीनामा आवेदन पत्र :-**

आवेदक /आवेदकगण ने इस प्रकरण की दुर्घटना में श्री ..... की मृत्यु आहत होने बाबत रुपये .....की क्षतिपूर्ति धन पाने हेतु यह आवेदन /अनावेदकगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया होकर लंबित है। इस प्रकरण में आवेदक/ अनावेदक गण ने अनावेदक क्रमांक ..... से स्वेच्छापूर्वक राजीनामा कर लिया है, जिसकी शर्तें निम्नानुसार हैं -

1. अनावेदक क्रमांक ..... आवेदक क्रमांक ..... को क्षतिपूर्ति धन की रकम रुपये ..... अक्षरी ..... अदा करेंगे, जिसमें वाद व्यय एवं अभिभाषक शुल्क भी सम्मिलित है।
2. अनावेदक अवार्ड की राशि आज दिनांक से 60 दिन की अवधि में न्यायालय में जमा करावेंगे अन्यथा क्षतिपूर्ति राशि पर आज दिनांक से अदायगी दिनांक तक ..... प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
3. आवेदक /आवेदकगण अन्य अनावेदक गण से कोई सहायता नहीं चाहते हैं, अतः उनके विरुद्ध प्रकरण समाप्त किया जावे।
4. यह कि हम पक्षकारगण के द्वारा विशेष ई-लोक अदालत के अंतर्गत विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राजीनामा किए जाने हेतु सहमति प्रदान की जाती है।

	<b>हस्ताक्षर आवेदक/ परिवादी</b>
	आवेदक /गण अधिवक्ता या पहचानने वाले के हस्ताक्षर

आवेदक /गण का मोबाईल नं.
आवेदक /गण के अधिवक्ता का मो. नं. एवं ई-मेल आई.डी.
अनावेदक का मोबाईल नं.
अनावेदक के अधिवक्ता का मो. नं. एवं ई-मेल आई.डी.

<b>स्थान</b>	टीप: विशेष ई लोक अदालत में जुडने हेतु लिंक की जानकारी जिला न्यायालय की वेबसाईट से, अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस से अथवा जिले में पदस्थ टेक्निकल स्टॉफ से प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में विशेष ई-लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले प्रकरणों के पक्षकारगण एवं अधिवक्तागण का वाट्स-अप ग्रुप बनाकर भी उसमें लिंक की जानकारी प्रेषित की जा सकती है।
<b>दिनांक</b>	